तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.93/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
28.01.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी प्रकाश कुमार पुत्र तुलसीराम जी रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म महादेव किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस के पास, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित।	

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.3.2024 को फर्म महोदव किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस के पास, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी प्रकाश कुमार पुत्र तुलसीराम जी रावल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Shreemul) का नमूना संख्या S-2312 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट क्रमांक **L.S./409/Act/2024/519** दिनांक 24.4.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह आढ़ा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। तत्पश्चात् इस न्यायालय में आज दिनांक 28.01.2025 को प्रतिवादी प्रकाश कुमार ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को आज दिनांक 28.10.2025 को ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

हमनें प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 20.3.2024 को समय 01–00 पी.एम. पर फर्म महोदव किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस के पास, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी प्रकाश कुमार पुत्र तुलसीराम जी रावल उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म महादेव किराणा स्टोर की दुकान के निरीक्षण के दौरान फर्म महादेव किराणा स्टोर की दुकान के आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Shreemul) के एक 15 किलोग्राम के पैक्ड टीन में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता प्रकाश कुमार पुत्र तुलसीराम जी रावल को प्रपत्र 5ए में गवाह श्री श्रवण सिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं

......लगातार

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No.93/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म महादेव किराणा स्टोर की दुकान में आमजन की बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Shreemul) के 15 किलोग्राम के पैक्ड टीन को खोलकर उसमें से 1600 ग्राम Ghee (Brand- Shreemul) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु उक्त गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 720/– (अक्षरे रुपये सात सौ बीस मात्र) अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी विक्रेता प्रकाश कुमार व उक्त गवाह को चार साफ, सूखी व खाली शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा Ghee (Brand- Shreemul) को हिला मिलाकर एकरुप करके Ghee (Brand- Shreemul) को प्रत्येक शीशी में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2312, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Shreemul) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता प्रकाश कुमार पुत्र तुलसीराम जी रावल एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Ghee (Brand- Shreemul) की उक्त चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा खरीदशुदा Ghee (Brand- Paramount) के प्रत्येक नमूना शीशीयों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2312 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता प्रकाश कुमार पुत्र तुलसीराम जी रावल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता प्रकाश कुमार पुत्र तुलसीराम जी रावल व उक्त गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.3.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, ...लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.93/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 20.3.2024 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म महादेव किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस के पास, वीरवाडा में प्रतिवादी प्रकाश कुमार पुत्र तुलसीराम जी रावल से खाद्य पदार्थ Ghee (Brand-Shreemul) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Brand-Shreemul) का नमूना संख्या S-2312 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः **L.S./409/Act/2024/519** दिनांक 24.4.2024 में अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रकाश कुमार पुत्र तुलसीराम जी रावल द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Shreemul) के 15 किलोग्राम पैक्ड टीन के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया गया एवं न ही ऐसा कोई बिल इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रकाश कुमार पुत्र तुलसीराम जी रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म महादेव किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस के पास, वीरवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Brand-Shreemul) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Shreemul) (S-2312) के विक्रय हेतु प्रतिवादी प्रकाश कुमार पुत्र तुलसीराम जी रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म महादेव किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस के पास, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड्वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी प्रकाश कुमार पुत्र तुलसीराम जी रावल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 05.3.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)